



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक एफ44(51)पंरावि/प्रशि./स्वामित्व/2023/पार्ट-4/E-File - 01834

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद समस्त।

विषय:— स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन बाबत।

प्रसंग:— राजस्थान ग्राम विकास संघ का ज्ञापन दिनांक 08.08.2024।

स्वामित्व योजनान्तर्गत वितरित पट्टे/प्रोपर्टी पार्सल का विवरण ई-पंचायत पोर्टल पर तैयार मॉड्यूल के डाटा एन्ट्री प्रपत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा इन्द्राज किया जाकर पट्टे की पी.डी.एफ. कॉपी भी अपलोड की जा रही है।

ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित ऐसे सार्वजनिक/राजकीय भवन/भूमि (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाड़ी केन्द्र, विद्यालय, खेल का मैदान आदि) जिनको भूमि तो आवंटित है परन्तु आधिकारिक रूप से पट्टे जारी नहीं किये गये/जा सकते हैं। ऐसे सार्वजनिक/राजकीय भवन/भूमि का विवरण ई-पंचायत पोर्टल पर इन्द्राज किये जाने के क्रम में सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र अपलोड किया जावे जिस पर निम्नानुसार अंकित हो:-

“ सम्बन्धित राजकीय सम्पत्ति को आदिनांक तक पट्टा जारी नहीं किया गया है। भविष्य में सम्बन्धित राजकीय सम्पत्ति का पट्टा जारी होने पर ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। ”

अतः उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(आभा बेनीवाल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
10685395



Signature valid

Digitally signed by Abha Beniwal
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2024.09.25 14:15:55 IST
Reason: Approved